भारत में आस्ति पुनर्निर्माण और एनपीए प्रबंधन*

आर. गांधी

देवियो और सज्जनो सुप्रभात।

2. मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं आप सभी के बीच हूँ और भारत में अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। इस प्रकार के सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, विशेष रूप से, इस समय जब आज बैंकिंग में दबावग्रस्त आस्तियां में बढ़ोतरी हो रही है।

मौजूदा स्थिति

3. तथापि, यदि हम कुछ समय पहले की स्थिति का अवलोकन करें तो पाएंगे कि भातरीय बैंकिंग प्रणाली की आस्ति गुणवत्ता की स्थिति ऐसी नहीं थी; दरअसल, बैंकिंग क्षेत्र में सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वयन और विवेकसम्मत मानदंड़ों की शुरुआत, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधिनियमन, ऋण आसूचना कंपनी अधिनियम, इत्यादि के चलते इसमें काफी सुधार हो रहा था। सकल एनपीए अनुपात 1996-97 के 15.7 प्रतिशत से धीरे-धीरे घटकर 2010-11 में 2.36 प्रतिशत रह गया था। तथापि उसके बाद अनर्जक आस्तियों में काफी बढ़ोतरी हुई और मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार ये बैंकों के सकल अग्रिम का 4.62 प्रतिशत थीं जबकि मार्च 2011 में इनका प्रतिशत सकल अग्रिम में 2.36 प्रतिशत रहा था। पिछले चार वर्ष के दौरान एनपीए में हुई वृद्धि अग्रिम में हुई वृद्धि की तुलना अधिक रही। इसके अतिरिक्त, मार्च 2015 में सकल अग्रिम की तुलना में पुनर्रचित मानक आस्तियों का अनुपात मार्च 2014 के सकल अग्रिम के 5.87 प्रतिशत से बढ़कर 6.44 प्रतिशत हो गया। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कुल दबावग्रस्त आस्तियां (अर्थात एनपीए और पुनर्रचित आस्तियां) सकल अग्रिमों का 11.06 प्रतिशत रहीं।

4. दबावग्रस्त आस्तियों में त्वरित बढ़ोतरी ने बैंकों की लाभप्रदता को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आस्तियों पर वार्षिक प्रतिलाभ 2010-11 के 1.09 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 0.78 प्रतिशत रह गया है। बैंक की पूंजी और चलनिधि स्थिति दोनों पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के लिए जरूरी है कि वे अपनी दबावग्रस्त आस्तियां को कम करें और अपने तुलन-पत्र में सुधार करें ताकि ऐसा न हो कि ये अर्थव्यवस्था के लिए बाधा बन जाए।

5. आस्ति गुणवत्ता का प्रबंधन करना हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और विशेष रूप से आर्थिक मंदी के दौरान यह प्रमुख उद्देश्य बना रहा है। प्रभावी आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन के महत्व

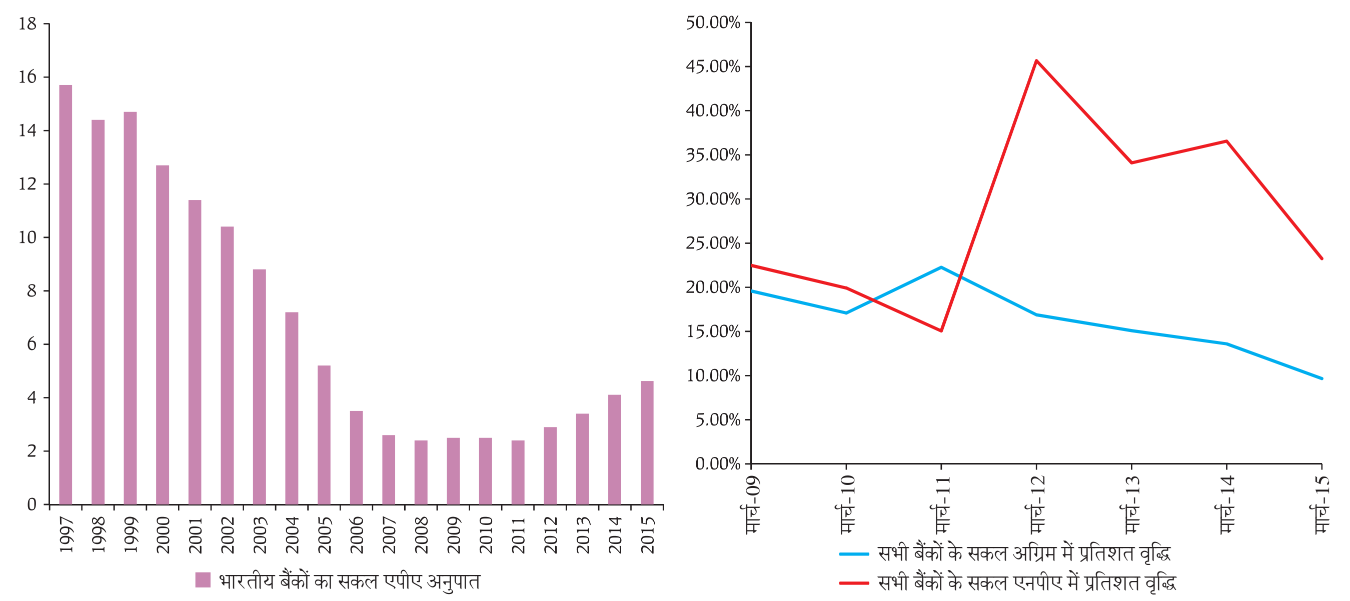

* 15 सितंबर 2015 को मुंबई में दि इकानामिक टाइम्स रिमॉडल इन इंडिया - आस्ति पुनर्निर्माण और एनपीए प्रबंधन सम्मेलन में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गाँधी द्वारा किया गया मुख्य संबोधन-भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्री ए.के. चौधरी, श्रीमती चंदनदास गुप्ता और श्री बी. नेथाजी के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है।

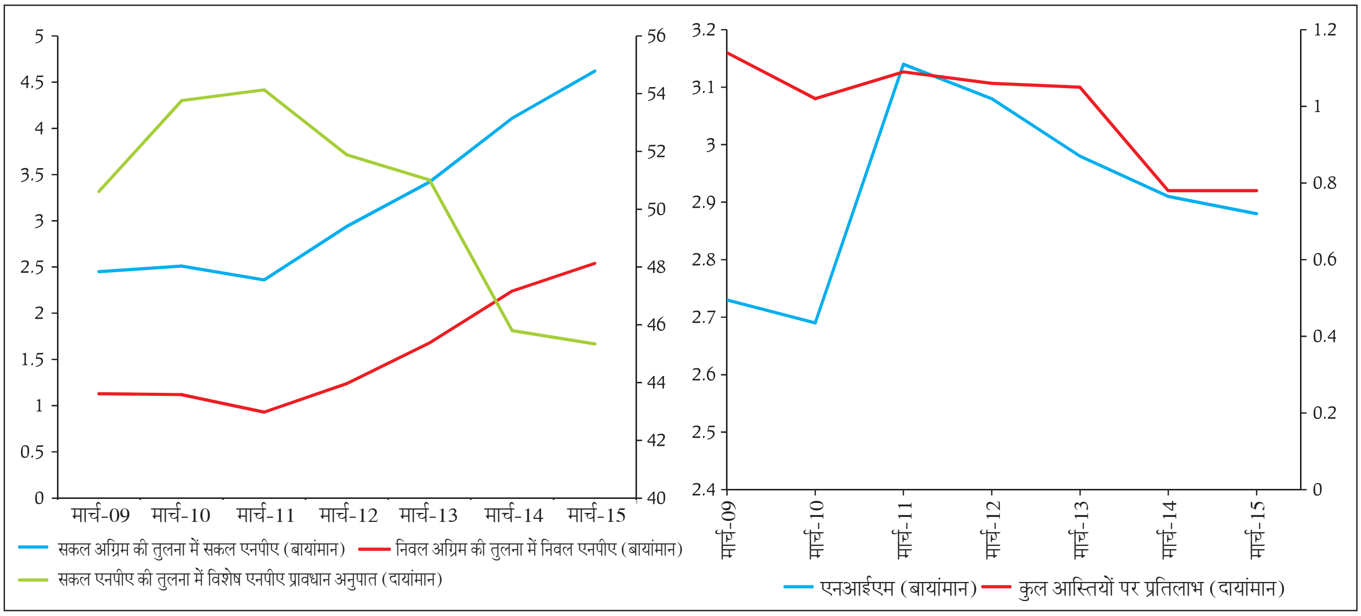

को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए आस्ति गुणवत्ता संबंधी अनेक पक्षों पर समय-समय पर अनेक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

निवारण प्रबंधन

6. रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया कि ऋण जोखिम प्रबंधन की ओर उच्च प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया जाए और इस प्रक्रिया में निम्नलिखित को शामिल किया जाए:

ए) क्रेडिट रेटिंग/स्कोरिंग के जरिए जोखिम का प्रबंधन;

बी) प्रत्याशित ऋण हानियों और अप्रत्याशित ऋण हानियों का अनुमान करके जोखिम की मात्रा का निर्धारण करना;

सी) वैज्ञानिक आधार पर जोखिम मूल्य का निर्धारण करना; और

डी) प्रभावी ऋण समीक्षा प्रणाली और संविभाग प्रबंधन के जरिए जोखिम को नियंत्रित करना।

7. इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि वे ऐसी व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत करें जो ऋण जोखिम को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों के लिए संवेदनशील और उत्तरदायी हो। बैंकों के ऋण जोखिम को सक्रिय रूप से नियंत्रित करने से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार करने में बैंक के बोर्ड के निदेशक सहित उच्च प्रबंधन की सहभागिता होनी चाहिए। बैंकों को वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर उद्योग का अध्ययन और वैयक्तिक बाध्यता समीक्षा, ऋण लेखा-परीक्षा, जिसमें आवधिक ऋण निरीक्षण, जो लिखित रूप में हैं, शामिल हैं, सयंत्र और कारोबार स्थल का आवधिक दौरा और कम-से-कम ट्रबल्ड एक्पोज़र/कमजोर ऋण की तिमाही आधार पर प्रबंधन समीक्षा जैसी अग्रसक्रिय ऋण जोखिम प्रबंध प्रणालियों को लागू करना चाहिए।

हाल में की गई विनियामक पहल

8. हाल में, जनवरी 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'अर्थव्यवस्था में डिस्टेस्ड आस्तियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक ढांचे' की शुरुआत की थी। उस ढांचे में एक ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई योजना तैयार की गई थी जो समस्यागत मामलों की समय रहते पहचान करने, समय रहते खातों जिन्हें व्यावहारिक माना जाए, को पनुर्रचित करने और अव्यावहारिक खातों में सुधार अथवा उनकी बिक्री हेतु बैंकों द्वारा त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त, सूचना असमानता की समस्या के समाधान और समस्याओं की समय रहते पहचान कर लेने के लिए सेंट्रल रिपॉजिट्री ऑफ इंफार्मेशन ऑन लॉर्ज क्रेडिट (सीआरआईएलसी) की स्थापना की गई थी ताकि ऋणदाताओं के लिए ऋण आंकड़ों से संबंधित जानकारी को एकत्र, भंडार और उसके बीच प्रसारित किया जा सके। इस व्यवस्था के तहत बैंकों को ₹50 मिलियन और उससे अधिक के कुल निधि आधारित और गैर निधि आधारित एक्पोजर रखने वाले अपने सभी उधारकर्ताओं और एसएमए के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों की ऋण सूचना को सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करना होता है।

9. जहां, एक समुचित ऋण जोखिम प्रबंधन आस्ति गुणवत्ता को बनाने रखने के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं इतना ही महत्वपूर्ण एक अन्य विषय विभिन्न उधारकर्ताओं को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं को समुचित रूप से संरचनागत करना भी है। ऋण सुविधाएं मंजूर करते समय, बैंकों को उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह के समुचित विश्लेषण के आधार पर उचित चुकौती अनुसूची तैयार करनी चाहिए। इससे उधारकर्ताओं द्वारा त्वरित चुकौती करने में सुविधा होगी और इसप्रकार अग्रिमों की चुकौती में सुधार आएगा। सभी ग्राहकों को एक समान दृष्टिकोण और एक समान ऋण प्रदान करना बैंकों और ग्राहकों दोनों के हित नहीं है।

10. इस दिशा में किए जा रहे संरचनागत परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों द्वारा परियोजना ऋण मंजूर किए गए हैं और दीर्घावधि परियोजना को वित्तपोषण देने में बैंकों को सूकर बनाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए रिज़र्व बैंक ने आवधिक पुनर्वित्त देने के विकल्प के साथ दीर्घावधि परियोजना ऋण की लचीली संरचना संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। रिज़र्व बैंक ने ये दिशानिर्देश इसलिए जारी किए हैं ताकि इस प्रकार की परियोजनाओं के प्रारंभिक वर्ष में नकदी प्रवाह दबाव को कम करके प्रमुख उद्योग क्षेत्रगत परियोजनाओं और आधारभूत संरचना की दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित किया जा सके। रिज़र्व बैंक ने इस प्रकार की परियोजनाओं में निर्धारित लागत से अधिक लागत को वित्त पोषित करने के लिए 'आपाती ऋण सुविधा' की आवधारणा की शुरूआत की है। इस प्रकार की 'आपाती ऋण सुविधा' की मंजूरी प्रारंभिक वित्तीय पूर्णता के समय की जाती है; किंतु इसका संवितरण तभी किया जाएगा जब लागत अधिक हो जाएगी, उधारकर्ताओं/परियोजना के प्रारंभिक ऋण मूल्यांकन के समय इस प्रकार की अधिक लागत राशि का मूल्यांकन किया गया है और लागत अधिक होने पर इसका संवितरण करने की सहमति है, और ऋण-इक्विटी अनुपात, ऋण चुकौती कवरेज अनुपात, अचल आस्ति कवरेज अनुपात इत्यादि का निर्धारण तदनुसार किया गया है। इससे उधारकर्ताओं को बाद की अवस्था में अतिरिक्त वित्त के लिए बैंकों के पास जाने की जरुरत नहीं होगी।

पुनर्रचना/पुनर्वास

11. तथापि, उचित ऋण मूल्यांकन और उचित ऋणों की संरचना के बावजूद, आस्तियों की गुणवत्ता में स्लीपेज को नहीं रोक पाया गया, विशेष रूप से जब आर्थिक चक्र की स्थिति अच्छा नहीं है। इसलिए, एक बार कमजोर खातों की पहचान करने के बाद बैंकों को अनेक उपचारात्मक कार्रवाइयां करने की जरूरत है। उपचारात्मक विकल्पों में से एक उपचार पुनर्रचना है। उनके श्रेष्ठ प्रयासों और दृढ़ता के बावजूद, कभी-कभी उधारकर्ता अपने आपको वित्तीय कठिनाई में पाते हैं, इसका कारण उनके नियंत्रण के बाहर के कारक और कतिपय आंतरिक कारणों का होना भी होता है। अर्थक्षम प्रतिष्ठानों के पुनरुत्थान और बैंकों द्वारा प्रदान की गई राशि की सुरक्षा के लिए वास्तविक मामलों में पुनर्रचना के जरिए समय रहते सहयोग की मांग है। पुनर्रचना का उद्देश्य अर्थक्षम प्रतिष्ठानों जो कि कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित हैं, के आर्थिक मूल्य को सुरक्षित करना और ऋणदाताओं और हितधारकों की हानियों को कम करना है।

12. उधारकर्ताओं, जो थोड़े समय के लिए वित्तीय कठिनाई में हैं, को इस प्रकार का सहयोग देना उसके आस्ति वर्गीकरण की स्थिति 'मानक' होने पर ही निर्भर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। बैंकों की ऐसी प्रवृत्ति है कि एक बार खाता एनपीए हो जाता है तो वे अपना सहयोग देना बंद कर देते हैं। अनर्जक आस्ति के रूप में खाते का वर्गीकरण होने मात्र से ही अर्थक्षम उधार खातों से सहयोग देना बंद करने जरूरत नहीं है। आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण का उद्देश्य बैंकों के तुलनपत्र की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना है न कि खातों/उधारकर्ताओं को कलंकित करना है। तथापि, दबावग्रस्त खातों को अपने सहयोग के बारे में विचार करते हुए बैंकों को एक ओर इरादतन चूककर्ताओं/सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं/ अनैतिक उधारकर्ताओं और दूसरी तरफ उधारकर्ताओं के नियंत्रण के बाहर की स्थिति के कारण उनके ऋण बाध्यता में चूक होने में स्पष्ट अंतर करना चाहिए।

13. जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं के साथ पुनर्रचना संबंधी मानदंड़ों को एक समान बनाने के उद्देश्य से 1 अपैल 2015 से आस्तियों की पुर्नरचना के लिए उपलब्ध विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ समाप्त कर दिया है। इसके बाद 'पुनर्रचित' की जाने वाली आस्तियों में अचानक गिरावट आई और ऐसा लगता है कि बैंक दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के ऋणों को पुर्नरचित करने में सतर्क हो गए हैं। आस्तियों की पुर्नरचना में आई गिरावट के लिए उल्लिखित कारणों में एक कारण यह है कि 'बैंकों को पुनर्रचना में कोई प्रोत्साहन नहीं है।' हमें लगता है कि पुनर्रचना में बैंकों का निर्णय उनके अभिप्रेरणा से प्रेरित नहीं होना चाहिए है ताकि ऐसे खाते, जो कि अस्थाई रूप से वित्तीय कठिनाई में हैं तथा ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं दोनों के हित में अर्थक्षम प्रतिष्ठानों

के आर्थिक मूल्य के संरक्षण के तहत हैं, का आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर ध्यान देने के बजाय उनका पुनरुत्थान हो सके।

सुधार/निर्गम

14. ऐसे खातों, जिनमें सुधार की गुंजाइश नहीं रह गई है, में प्रभावी सुधार/निर्गम ढांचे के पहले उपाय के रूप में, बैंकों में एक समुचित ऋण वसूली नीति होनी चाहिए, जिसमें प्रत्येक खाते की स्थिति के अनुसार देय राशि वसूल करने संबंधित तरीकों का उल्लेख होना चाहिए। बैंकों को मौजूदा खातों के लिए या तो कानूनी विकल्प अथवा गैर कानूनी विकल्पों का सहारा लेना चाहिए। बैंक एनपीए का समझौता निपटान के लिए अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार समझौता निपटान कर सकते हैं। तथापि, पर्याप्य ध्यान इस बात का रखा जाना चाहिए कि समझौता निपटान पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से किया गया है। बैंक अपने एनपीए अन्य बैंकों को भी बेच सकते हैं (किंतु यह बिक्री और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के बाहर होगी)। कुछ ऐसे बैंक हैं जिन्हें ऋण वसूली करने में विशेषज्ञता है और हमने देखा है कि उन्होंने अन्य बैंकों से एनपीए खरीदे हैं।

15. उपर्युक्त उपायों के असफल होने की स्थित में, बैंक ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में दावा दाखिल कर सकते हैं अथवा सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिभूति हित प्रवर्तन करने के लिए एक वैकल्पित उपाय सरफेसी अधिनियम के तहत पंजीकृत प्रतिभूति कपंनियों/पुनर्रचना कंपनियों (एससी/आरसी) को एनपीए बेचना है। एससी/आरसी से अपेक्षा होती है कि वे एनपीए की वसूली और पुनर्रचित करने के विशेष कार्य को करे, जिससे कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए को कम किया जा सके। एससी/आरसी के सृजन का उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करके बैंकिंग प्रणाली के एनपीए को समाधान करना है।

आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी

16. आज की स्थिति के अनुसार रिज़र्व बैंक में 15 एससी/आरसी पंजीकृत हैं। पिछले दो वर्ष की स्थिति के अनुसाार एससी/आरसी द्वारा की गई एनपीए की बिक्री (जो कि अपेक्षाकृत अलग-अलग थे) में काफी बढ़ोतरी देखी गई है।

17. तथापि, उनमें से कुछ कंपनियां ही बैंकों से सफतलापूर्वक आस्तियों प्राप्त कर सकीं। 15 पंजीकृत एससी/आरसी में से आस्ति आकार के अनुसार सभी एससी/आरसी की कुल आस्तियों में शीर्ष तीन एससी/आरसी (यथा- 'एआरसीआईएल', 'जेएस फायनेंस', और 'ईडेलवेस') का हिस्सा दो तिहाई है।

18. एससी/आरसी द्वारा की गई एनपीए की खरीद का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आस्तियों की बही लागत के प्रतिशत की तुलना में अधिग्रहण लागत मार्च 2015 में काफी बढ़कर

चार्ट 3: अधिग्रहित की गई आस्तियों और अधिग्रहण लागत की प्रवृत्ति

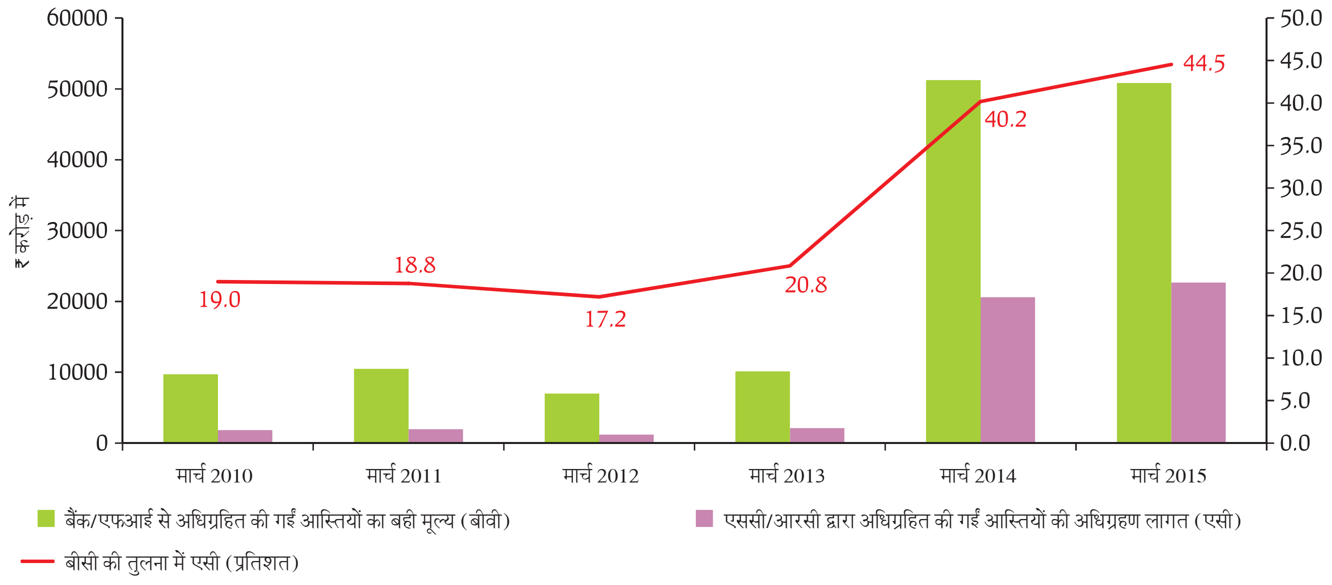

44.5 प्रतिशत हो गई, जबकि मार्च 2013 में यह लागत 20.8 प्रतिशत थी। अन्य शब्दों में, बट्टा दर जिस पर एससी/आरसी बैंक/एफआई से एनपीए अधिग्रहित करती हैं, में काफी गिरावट आई है। संभवतः इसका मुख्य कारण यह रहा हैः (i) बैंकों द्वारा एनपीए वसूली के लिए बेहतर प्रणाली को विकसित करना (ii) अपेक्षाकृत नए एनपीए की बिक्री करना (iii) एनपीए के मूल्यन के लिए आउटसोर्सिंग करना (iv) एनपीए निलामी के समय एससी/आरसी के बीच प्रतिस्पर्धा का होना।

19. वसूली की दृष्टि से निष्पादन बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, एससी/आरसी की औसत वसूली दर 31.0 प्रतिशत रही है। औसत वसूली दर (अधिग्रहित आस्तियों के प्रतिशत की तुलना में समाधान की गई आस्तियां) में आयी गिरावट के कारणों में एक कारण यह था कि एससी/आरसी प्रबंधन के तहत आस्तियों का काफी भाग हाल ही में अधिग्रहित किया गया था। इसके अतिरिक्त, एससी/आरसी के बीच वसूली दर में काफी भिन्नता भी इसी कारण से देखी गई है।

20. प्रतिभूति रसीदों में निवेशक वर्ग का विश्लेषण करने पर किसी प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती है। यह पाया गया है कि विक्रेता बैंक/एफआई अधिकांश प्रतिभूति रसीद (एसआर) खरीद रहे हैं। औसतन विक्रेता बैंक/एफआई ने मार्च 2010 से मार्च 2015 में दौरान जारी कुल एसआर में 74 प्रतिशत की खरीदी की है। पिछले दो वर्षों में, विक्रेता बैंकों ने कुल एसआर में से लगभग 80 प्रतिशत की खरीदी की है।

संस्था द्वारा खरीदी गई प्रतिभूति रसीद

(कुल एसआर की तुलना में प्रतिशत)

मद	मार्च 2010	मार्च 2011	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2015
एससी /आरसी द्वारा अपने स्वयं के खाते में धारित एसआर	21.2	21.0	21.4	24.0	15.0	14.4
अन्य क्यूआईबी को जारी एसआर	5.5	7.3	8.8	8.6	4.7	3.5
विक्रेता बैंकों/एफआई द्वारा धारित एसआर	73.3	71.4	69.4	66.8	80.0	82.0
एफआईआई द्वारा धारित एसआर	0.0	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2
कुल	100	100	100	100	100	100

21. वर्ष 2014-15 के दौरान एससी/आरसी के कुल आस्ति आकार में वृद्धि पिछले वर्ष की 21.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में काफी बढ़कर 64.8 प्रतिशत हो गई। आंकड़ों की दृष्टि से, एससी/आरसी का कुल आस्ति आकार 31 मार्च, 2015 को ₹6920 करोड़ का रहा है। मार्च 2010 से मार्च 2014 के दौरान एससी/आरसी की आस्तियों पर दर्ज किया गया औसत प्रतिलाभ 3.48 प्रतिशत रहा, जबकि इक्विटी पर औसत प्रतिलाभ 4.48 प्रतिशत रहा।

22. हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों की दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने संबंधी प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने हेतु अनेक उपाय किए हैं। रिज़र्व बैंक ने एससी/आरसी के परिचालन संबंधी अनेक दिशानिर्देश जारी किए हैं तथा उनके और बैंकों के बीच लेनदेनों को अधिक पारदर्शी बनाने

कुल आस्तियों की प्रवृत्ति

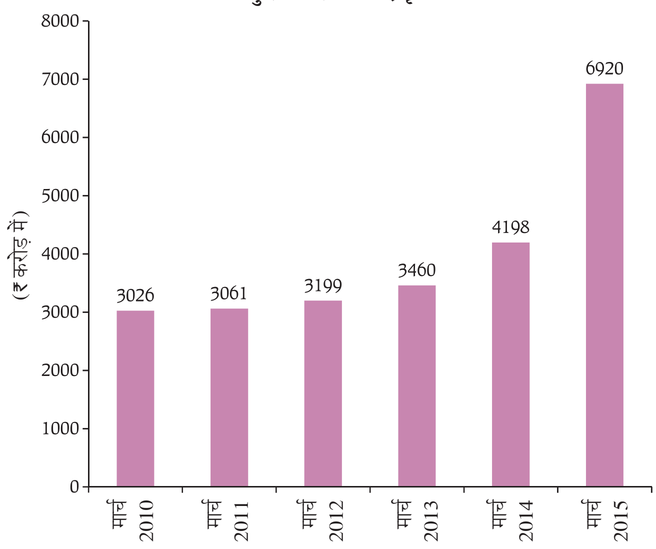

एआरसी की लाभप्रदता की प्रवृत्ति

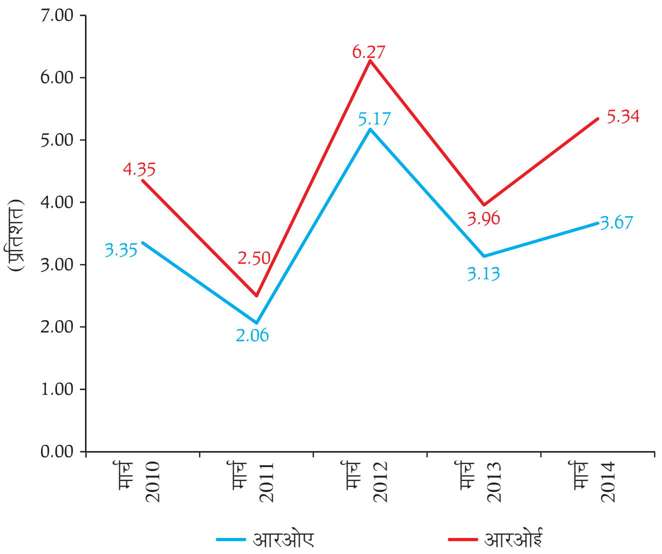

के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को लेनदेन कीमतों और पुनःखरीद लेनदेनों में प्रमोटरों की सांठगांठ को रोकने के लिए सुदृढ़ किया गया। संशोधित दिशानिर्देशों में एससी/आरसी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे उनके द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में न्यूनतम 15 प्रतिशत (पूर्व के 5 प्रतिशत की तुलना में) का निवेश करे।

23. भारत में आस्ति पुनर्रचना के कारोबार को बढ़ाने के लिए एससी/आरसी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा आटोमैटिक रूट के तहत 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई है। जहां, विदेशी संस्थागत निवेशकों को एससी/आरसी की इक्विटी में निवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है, वहीं, एफआईआई की अधिकतम हितधारिता एससी/आरसी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। ऋण समेकन करने को ध्यान में रखते हुए एससी/आरसी को अब अन्य एससी/आरसी से कर्ज लेने की अनुमति प्रदान की गई है। एससी/आरसी को ऋण के एक हिस्से को आस्ति पुनर्रचना के उपाय के रूप में उधारकर्ता कंपनी के शेयर में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गई है। प्रतिभूति प्रवर्तन कार्रवाइयों के लिए स्वीकृत निर्धारित सीमा को उधारकर्ता की बकाया रकम का 60 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि यह सीमा पहले 75 प्रतिशत थी। 500 करोड़ से अधिक राशि की अधिग्रहित आस्तियों वाले एससी/आरसी किसी योजना के तहत निधि प्रवाहमान कर सकते हैं और अधिग्रहित वित्तीय आस्तियों की पुनर्रचना के लिए अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं से जुटाई गई निधि का 25 प्रतिशत तक हिस्से का उपयोग कर सकते हैं। चूककर्ता कंपनी/उधारकर्ता के प्रमोटर अथवा गारंटीकर्ता को एससी/आरसी से अपनी आस्तियों की वापसी-खरीद की अनुमति है बशर्ते कि शर्त पूरी करते हो कि समाधान प्रक्रिया और लागत को कम करने में सहायक हैं। एससी/आरसी के लिए एकसमान लेखा मानकों पर दिशानिर्देश अधिग्रहण लागत, राजस्व पहचान (रेवन्यू रिकग्निशन), एसआर का मूल्यन इत्यादि की गणना के लिए जारी किए गए हैं ताकि एससी/आरसी की बहियों में पारदर्शिता लाई जा सके। प्रबंधन शुल्क की गणना संबंधी मानदंड़ों को भी तर्कसंगत बनाया गया है। अब प्रबंधन शुल्क एससी के निवल आस्ति मूल्य पर आधारित होगा न कि जारी एससी की बकाया पर आधारित होगा।

24. इन विनियामक परिवर्तनों के साथ एससी/आरसी को प्रतिभूति रसीदों का वास्तविक मोचन करने पर ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि उनके लिए अपने लाभ मॉडल को प्रबंधन शुल्क के आधार के लिए आधार अब बना पाना संभव नहीं है। भावी समय में, एससी/आरसी के लिए विक्रय बैंक की प्रत्याशाओं के अनुसार अपने मूल्य-निर्धारण को एक समान बना पाना मुश्किल है और विक्रय बैंकों को भी उन आस्तियों, जिन्हें वे भारी मात्रा में बेचना चाहते हैं, के लिए वास्तविक बिक्री मूल्य के लिए मिलान करना बाकी है। ये विनियामक परिवर्तन करने के पीछे उद्देश्य वूसली/पुर्नरचना की प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, क्योंकि एसआर के निवल आस्ति मूल्य की गणना दबावग्रस्त आस्तियों की बहाली की संभावित दर के आधार पर की गई है।

25. रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि एआरसी को अनर्जक आस्तियों की बिक्री के लिए निलामी प्रक्रिया का उपयोग करके बैंक और अधिक पारदर्शी होने चाहिए, जिसमें बोलियों आदि को स्वीकार न करने के लिए नियम कीमतों का उल्लेख करने वाले खंडों का प्रकटीकरण शामिल है। यदि कोई बोली नियत कीमत से अधिक है और अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करती है तो उस बोली को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

26. यह अपेक्षा की जाती है कि विनियमनों में किए गए इन संशोधनों से एससी/आरसी के लिए वसूली संभावना में सुधार होगा। संयुक्त ऋणदाता समूह (जेएलएफ) की सदस्यता, सरफेसी अधिनियम को लागू करने की सहमति के लिए न्यूनतम निर्धारित सीमा, अधिक सावधानी बरतने के लिए अधिक समय का निर्धारण और अधिक प्रकटीकरण से अधिक पारदर्शिता आएगी और एनपीए का और बेहतर ढंग से समाधान होगा। इससे बैंकों को बेचा जा रहा एनपीए भी कम होगा और त्वरित ऋण समूहन भी होगा।

एनपीए प्रबंधन - आधुनिक/नए विचार

27. अब मैं एनपीए प्रबंधन से संबंधित अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहूंगा।

ऋण मूल्यांकन क्षमता को बेहतर बनाना

28. बुनियादी समस्यों में एक समस्या, जो एनपीए प्रबंधन को बहुत अधिक प्रभावित करती है, वह बैंकों की ऋण मूल्यांकन क्षमता, विशेष रूप से, परियोजनाओं की मूल्यांकन क्षमता में विसंगितियों का होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई बैंकों में विशिष्ट डेस्कों के अतिरिक्त, एक तकनीकी सलाहकारी संस्था भी होती है। जेएलएफ के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन की जरूरत और जेएलएफ की संख्या के चलते परियोजनाओं के मूल्यांकन, योजनाओं की पुनर्रचना इत्यादि करने के लिए अतिरिक्त तकनीकी क्षमताओं का होना अत्यंत जरूरत है। बैंकों को अपने आंतरिक डेस्कों को सुदृढ़ करना होगा। रिज़र्व बैंक

ने बैंकर के लिए उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र के जरिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने की पहल की है।

कन्सोर्शियम में सदस्यों की संख्या

29. एक अन्य सुझाव जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की संख्या को सीमित करने से संबंधित है, को कन्सोर्शियम अथवा बहुविध व्यवस्था बैंकिंग में अनुमति प्रदान करना है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम हिस्सा रखने वाले बैंकों में न तो प्रोत्साहन होता है और न ही वे किसी प्रस्ताव का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करने में रुचि लेते हैं। वे प्रत्येक स्तर पर बड़ा हिस्सा रखने वाले बैंकों का बिना देखे अनुकरण करते हैं, भले ही ऐसे बैंकों में आंतरिक तकनीकी क्षमताएं उपलब्ध हो। इसलिए यह सुझाव है कि किसी कन्सोर्शियम अथवा बहुबिध बैंकिंग व्यवस्था में सदस्यों की संख्या से संबंधित विनियामक सीमा होनी चाहिए ताकि प्रत्येक सदस्य के पास कम से कम 10 प्रतिशत का एक्पोजर होना चाहिए और इसलिए उनके पास गहन स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन और ऋण निगरानी करने की क्षमता होनी चाहिए। इस सुझाव से भिन्न मत, विशेष रूप से, किसी ऋण से संबंधित व्यावसायी निर्णय करने के लिए बैंक अथवा उधारकर्ता के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता से संबंधित है।

प्रबंधन और तकनीकी विशेषज्ञों की सुलभ सूची

30. एक अन्य सुझाव यह है कि जब भी जेएलएफ सीएपी के तहत प्रबंधन में बदलाव करने का निर्णय करें, तो ऐसे प्रबंधन और तकनीकी विशेषज्ञों, जिनकी सेवाएं बैंकों, वित्तीय संस्थानों अथवा आस्ति पुनर्रचना कंपनियों द्वारा ली जाती हैं, की एक सुलभ सूची तैयार की जाए। शायद, आईबीए यह इस प्रकार की सूची को तैयार और उसका अद्यतन कर सकता है।

31. इन सभी सुझावों पर अंतिम विचार जानने के पहले आगे और अधिक चर्चा करने की जरूतर है।

एससी/आरसी के समक्ष मौजूद समस्याएं

पूंजी

32. इस तथ्य से इनकार नहीं किया जाता है कि जहां पूंजी जुटाने के स्रोत सीमित हो, वहां एससी/आरसी को पूंजी की जरूरत है ताकि उनमें अनवरत आधार पर वृद्धि करने की क्षमता हो और इस क्षेत्र में एक अहम प्रतिभागी बन सके। 15 एआरसी की निवल मालियत लगभग ₹4000 करोड़ है जबकि बैंकिंग प्रणाली में दबावग्रस्त आस्तियां करोड़ों में हैं। यह उद्योग पूंजी वाला होने के कारण एससी/आरसी को पूंजी जुटाने में संघर्ष कर पड़ रहा है। बड़े निवेशक इस कारोबार में निवेश करने को तैयार है किंतु निर्णय की गति मंद और प्रशासनिक परिवेश के कारण सावधानी बरत रहे हैं। जहां मौजूदा प्रायोजकों और हितधारकों में सीमित रुचि है, वहीं वैयक्तिक हितधारकों की 50 प्रतिशत सीमा और पूर्वपेक्षा (स्टिपुलेशन), कि प्रयोजक को एससी/आरसी (जैसा कि सरफेसी में उल्लेख है) में किसी प्रकार के नियंत्रण हित नहीं रखने चाहिए, इस संबंध में बाधा सिद्ध हो रहे हैं। तथापि, यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि एससी/आरसी के लिए आईपीओ के जरिए निधि जुटाना आसान नही होगा क्योंकि जहां एक ओर घरेलू बाजार में निवेशक की रुचि कम है, वहीं अभी तक, एससी/आरसी का कार्यनिष्पादन अनेक कारणों से निराशाजनक रहा है और यही बाधारकारी सिद्ध हो सकता है। ऐसे एससी/आरसी जो समयोचि ढंग से पूंजी जुटा सकते हैं, वे इस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने में बेहतर स्थिति में हैं। एससी/आरसी को एफडीआई मार्ग के जरिए विशेष रूप से इस संबंध में पूंजी जुटाने के विकल्पों की तलाश करने की आवश्यकता है। उद्योगों की यह भी मांग रही है कि प्रायोजकों से ऋण जैसे गौण ऋणों को टियर II के रूप में चिह्नित करना चाहिए और एससी/आरसी की पूंजी पर्याप्ता की गणना करते समय इन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

एनपीए की कीमत का निर्धारण

33. अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा एनपीए की कीमत का निर्धारण है। मौजूदा समय में, विक्रेता की कीमत प्रत्याशाओं और एससी/आरसी द्वारा बोली-कीमत के बीच कोई मिलन बिंदु (मीटिंग प्वाइंट) नहीं है जो कि निलामियों की कम सफलता दर से भी स्पष्ट है। यह एनपीए अधिग्रहित के लिए निधि जुटाने हेतु एससी/आरसी द्वारा जारी की जा रहीं प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने के लिए इच्छुक अधिक निवेशकों को लाने में बाधाकारी सिद्ध हुआ है। दबावग्रस्त आस्ति संविभाग में निवेशक अधिक जोखिम, अधिक प्रतिफल सिद्धांत, जिसमें यदि अधिग्रहित की गई आस्तियां का सही कीमत-निर्धारण नहीं किया गया तो एससी/आरसी के लिए अधिक प्रतिफल पाना नहीं मुश्किल होगा, के आधार पर अधिक प्रतिलाभ की आशा करते हैं। एनपीए बाजार को पुनर्जिवित करने के लिए प्रदान की जारी जा रही कीमत और बोली कीमत के बीच संतुलन होना चाहिए। इस मुद्दे का बेहतर समाधान बाजार शक्तियों और प्रतिभागियों द्वारा किया जाए। आस्ति पुनर्गठन कंपनी संघ के साथ मिलकर भारतीय बैंक संघ रिजर्व कीमत-निर्धारण मूल्यांकन के लिए पारस्परिक रूप से स्वीकार कार्यपद्धति की रूपरेखा तैयार करे। निश्चित रूप से,

एनपीए के उचित मूल्य का प्रकटीकरण होने से निलामियों के जरिए हो रहे लेनदेनों में अधिक मदद मिल सकती है और दबावग्रस्त आस्ति फंड जो कि एससी/आरसी के जरिए भाग ले सकते हैं, जैसे द्वितीयक निवेशक में रुचि भी पैदा कर सकते हैं।

एसआर के लिए द्वितीयक बाजार की आवश्यकता

34. द्वितीयक बाजार के उपस्थित न होने के कारण अन्य निवेशक से प्राप्त होने वाली राशि मौजूद नहीं है जिससे जो बैंक एनपीए बेचते हैं, वह एसआर में निवेशक के रूप में दोगुना हो जाता है। इसके लिए उचित समाधान यह है कि अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता (जैसा कि सरफेसी अधिनियम के तहत अनुवार्य है) के चुनिंदा समूह से प्रतिभूति रसीदों में निवश को अलग किया जाए और इसमें ऋण लेनदेन में सभी संस्थागत प्रतिभागियों को निवेश करने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में, एससी/आरसी द्वारा चिह्नित उच्च मालियत वाले व्यक्ति (एचएनआई) को एसआर बाजार में भाग लेने की अनुमति पहले ही प्रदान कर दी गई है क्योंकि वैकल्पित निवेश फंड (एआईएफ) को क्यूआईबी, जो कि एससी/आरसी द्वारा जारी एसआर में निवेश के लिए पात्र हैं, के रूप में अधिसूचित किया गया है। एक संभावना यह भी है कि उन्हें एसआर बाजार में सीधे ही भाग लेने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, क्योंकि उनके पास जरूरी जोखिम पूंजी और जोखिम वहन करने की क्षमता है। यह उपाय निवेशक आधार को बढ़ाने में मदद कर सकता है और एसआर के लिए द्वितीयक बाजार में अधिक विस्तार प्रदान करने में भी मदद कर सकता है। एसआर के लिए सक्रिय द्वितीयक बाजार इस बाजार के लिए विशेष स्थिति निधि और क्यूआईबी को आकर्षित करेंगे। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को इस बात के लिए सुझाव दिया है कि सरफेसी अधिनियम की धारा 7 में संशोधन किया जाए जिसमें समय-समय पर निवेशकों के वर्ग को निर्धारित करने का अधिकार सेबी के साथ मिलकर भारतीय रिज़र्व के पास होना चाहिए।

कर्ज का समूहन

35. जहां बैंक द्वारा एनपीए की बिक्री उपलब्ध प्रतिभूति पैकेज, बेहतर कीमत जैसे अनेक कारकों पर निर्भर करता हैं और इसलिए एकल एससी/आरसी को एकल उधारकर्ता के ऋण के संदर्भ में अनेक बार बिक्री संभव नहीं हो पाती है, वहीं एकल एससी/आरसी को एक उधारकर्ता का पूरे ऋण की बिक्री से प्रभावी और बेहतर समाधान करने में मदद करेगा। विभिन्न ऋणदाताओं द्वारा विशेष रूप से अनुकूल सुधार करने की संभावना के साथ आस्तियों की टुकड़े-टुकड़े में बिक्री स्वतः उद्देश्य को पूरा नहीं करती है और इससे न केवल देरी होती है बल्कि कीमत भी बढ़ जाती है और समाधान प्रक्रिया बाधित हो जाती है। वैकल्पित रूप में, एससी/आरसी को सभी हितधारकों के हित में एक प्रणाली विकसित करने की जरूरत है ताकि वे उन आस्तियों का सफलतापूर्वक समाधान करने में समन्वय कर सके।

न्यायिक देरी

36. एससी/आरसी के कार्यनिष्पादन में सुधार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली देरी हैः चाहे वह सरफेसी अधिनियम के तहत हो अथवा फिर ऋण वसूली न्यायाधिकरण के स्तर पर हुई देरी हो। एक त्वरित और सक्षम न्यायिक प्रणाली एनपीए का प्रभावी समाधान के लिए अनिवार्य है। कारोबार करने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने में एक सुदृढ़ बैंकरप्सी फ्रेमवर्क होने की जरूरत को महसूस करते हुए भारत सरकार ने भारत में कार्पोरेट बैंकरप्सी लीगल फ्रेमवर्क का अध्ययन करने के लिए एक बैंकरप्सी कानून सुधार समिति का गठन किया है। समिति ने त्वरित कार्रवाई के लिए फरवरी 2015 में अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इसकी अंतिम रिपोर्ट 12 महीनों के भीतर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है जिसमें बैंकरप्सी कोड की सिफारिश की गई है। रिजर्व बैंक की अपेक्षा है कि जब समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जाएगा, उस समय देश के बैंकरप्सी फ्रेमवर्क में काफी सुधार आएगा और इससे बैंक/एससी/आरसी प्रभावी ढंग से अपनी दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान करने में सक्षम होंगे।

समापन

37. मुझे विश्वास है कि सुदृढ़ बैंकरप्सी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई अनेक विनियमक पहल के चलते एससी/आरसी की प्रभावशीलता में काफी सुधार आएगा। इसके साथ-साथ मुझे आशा है कि बाजार के प्रतिभागी इस प्रकार की समस्यों का विनियामक समाधान की प्रतीक्षा करने के बजाय वे स्वयं हल निकालेंगे जो कि उनके बीच किया गया बेहतर समाधान होगा।

38. मुझे लगता है कि आगे एनपीए की संभाव्यताओं प्रकट करने संबंधी विनियामक सीमाओं, एनपीए का प्रबंधन करने के लिए समाधान और निवारक उपायों पर तकनीकी सत्र होंगे। मैं इसकी सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इस पर आपके सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करता हूँ।

39. मुझे धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।